

पेंशन भोगी द्वारा जमा किया जाना

1. जीवित रहने का प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/डॉ.
 (पेंशन भोगी का नाम) /पी.पी.ओ. सं०
 को देखा है और वे आज दिनांक को
 जीवित हैं।

स्थान -

दिनांक - नाम

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का पदनाम तथा मुहर

2. सेवायोजन न किये जाने का प्रमाण - पत्र

- (क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अनुमति/बिना अनुमति के वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार कर लिया है।
- (ख) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अनुमति/बिना अनुमति के वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं किया है।
 (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।)

स्थान - हस्ताक्षर

दिनांक - पेंशन भोगी का नाम

3. पुनर्विवाह/अविवाहित का प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ मैं पिछले ४: माहों में विवाहित नहीं हुई हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने दुबारा शादी नहीं की है/विवाहित नहीं रही हूँ। (केवल पारिवारिक पेंशन भोगी के लिये ही अनुमन्य है।)

स्थान - हस्ताक्षर

दिनांक - पेंशन भोगी का नाम

घोषणा मेरी जानकारी में सही है और विश्वास है कि उक्त घोषणा सही है।

जिम्मेदार अधिकारी/सुपरिचित
 व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर